न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1101–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–2–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 182/2016–17/अपील.

धापूबाई पिता बोंदर
निवासी ग्राम तिरला
तहसील जिला धार .....आवेदिका

विरूद्ध

1– कंचनबाई पति कालुसिंह
2– मांगुबाई पति बाबुलाल
4– सौरमबाई पति रतन
निवासीगण ग्राम तारोद
तहसील बदनावर जिला धार ..... अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–2015 के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 12–1–2017 को लगभग 464 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 182/2016–17/अपील दर्ज कर दिनांक 20–2–2017 को आदेश पारित कर अपील समय बाधित होने से अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय को अभिलिखित खातेदार आवेदिका को विधिवत व्यक्तिगत सूचना एवं सुनवाई का अवसर देना चाहिए था एवं विज्ञप्ति का प्रकाशन करना चाहिए था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आज्ञापक प्रावधानों का पालन किये बिना आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि आवेदिका हितधारी, खातेधारी एवं कब्जेधारी होकर हितबद्ध पक्षकार है, किन्तु आवेदिका को बिना बुलाये, बिना सूचना दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना विज्ञप्ति का प्रकाशन किये, बिना गवाह सबूत लिये तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह आरम्भ से ही शून्यवत एवं अवैध है और ऐसे आदेश को किसी भी समय वरिष्ठ न्यायालय के संज्ञान में लाया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है ।

(3) आवेदिका अनपढ़ ग्रामीण महिला है, उसे विधि का ज्ञान नहीं है, उसके पुत्र बाहर मजदूरी करते हैं, इसलिए वह अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सकी । पटवारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों से उसे आदेश की जानकारी हुई, तब उसके द्वारा आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे समय बाह्य मानने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भूल की गई है ।

(4) अनावेदिका कमांक 1 कंचनबाई ने आवेदिका के 1/2 अंश भाग पर सुन्दरबाई के जीते जी किसी भी न्यायालय में अपील में चुनौती नहीं दी गई है और न ही उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के नाम दर्ज है, इसकी जानकारी अर्से से थी । अनावेदिका कमांक 1 कंचनबाई द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर पंजी पर जो नाम आदि की कार्यवाही की है, वह विचाराधिकार रहित एवं शून्य है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 2 एवं 3 ने कभी अपना हक व हिस्सा नहीं जताया है, बल्कि आवेदिका के हक एवं वसीयतनामें को स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में उक्त वसीयतनामा स्वमेव प्रमाणित है और यदि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को उक्त वसीयतनामा प्रमाणित करने का अवसर दिया जाता तो आवेदिका वसीयतनामा को प्रमाणित करती । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा न्याय सिद्धान्तों का पालन किये बिना

एवं आवेदिका को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमियों में विपक्षी का 1/4 हक नहीं बनाता, न ही उनका 1/4 अंश पर कभी कब्जा रहा और न ही 1/4 अंश पर उनका हक के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज है, विपक्षी का कितना अंश है, यह भी अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट नहीं है । अनावेदक कमांक 2 व 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कोई हक नहीं होना स्वीकार करती हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके हक के सम्बन्ध में विनिश्चय करने में त्रुटि की है ।

तर्कों के समर्थन में 1987 ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट 1353, 2010 आर.एन. 259, 2010 आर.एन. 215, 2010 आर.एन. 225, 2016 आर.एन. 41, 2012 आर.एन. 108, 2014 आर.एन. 291, 2006 आर.एन. 351, 1998 आर.एन. 168 (खंड न्यायपीठ), 1997 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. (नोट 223) पेज 329, 2000 आर.एन. 77, 2010 आर.एन. 157 (उच्च न्यायालय), 2005 आर.एन. 184, 1994 आर.एन. 302, 2015 आर.एन. 41 एवं 1997 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. (नोट 109) पेज 159 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत तिरला की नामान्तरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 4 पर वारिसान के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया गया है, जबकि आवेदिका का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित हुआ है । चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण पंजी पर आदेश पारित किया गया है, जिसमें आवेदिका तथा अन्य पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही इश्तहार का प्रकाशन किया गया है, इस कारण आवेदिका को उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रस्तुत करने/प्रमाणित करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेशों को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपील समय बाह्य मानकर निरस्त की गई है, जबकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण का निराकरण नहीं कर, गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करना चाहिए था । इस संबंध

में 2010 आर.एन. 259 समसुशील शर्मा विरूद्ध हरिभजन तिवारी तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 5–विलंब–हितबद्ध व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया–सारवान न्याय के हित में–बिना किसी आवेदन के विलंब क्षमा किया जा सकता है ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसील न्यायालय को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर